

23  $\frac{9}{22}$

आज यह पत्रावली केस हुई। वही  
एवं वादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय  
में बार-बार आवाज लगावने के  
बावजूद सायं 5:00 बजे तक  
वादी एवं वादी वकील में से कोई  
उपस्थित नहीं हुआ।

मूलवाद पठरण अथवा  
हाजिरी एवं पैरवी में खारिज हो चुका है

मूलवाद का निस्तारण हो जाने से  
ग्रा० पत्र 212 RT Act का कोई  
औचित्य नहीं रहता है।

अतः ग्रा० पत्र 212 RT Act  
की कार्यवाही शॉप की जाती है। पत्रकली  
अध्यापक में फैलल कुमार लेकर  
रजिस्ट्रार के कम की जावे। संलग्न मूलवाद  
है।

SDO